

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर  
पत्रांक 5678/14-1 . बिजनौर दिनांक फरवरी-2 2019

सेवा मे

वन एवं क्षेत्रीय निदेशक

मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

विषय:- जनपद बिजनौर में बिजनौर-हरिद्वार मार्ग किमी 21 की दांयी पटरी पर ग्राम खेड़ोहेड़ी के खसरा संख्या-647 एवं गाटा संख्या-181 पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० मेरठ द्वारा विकसित किये जा रहे पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) के सम्पर्क मार्ग में निर्माण हेतु 0.078764 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध मे।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1969/14-1 दिनांक 23.01.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करे। जिनके माध्यम से उक्त विषयक सूचना मांगी गयी थी जो अभी तक अप्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा राजस्व अभिलेखों में वन भूमि दर्ज कराने बाबत अर्थात् अमलदरामद कराने मे कोई रुचि नही ली जा रही है। जोकि राजकीय कार्यों लापरवाही का द्योतक है।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दु संख्या-1 से 12 तक का निराकरण कर दिया गया है।

संलग्नक:-प्रस्ताव की तीन प्रतिया।

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।

o/c